

हरियाणा सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक फरीदाबाद
बाई पास रोड, नजदीक रोज गार्डन, सैक्टर-14, फरीदाबाद, दूरभाष 0129-2286760

क्रमांक 650

दिनांक 30-9-2022

सेवा में,


अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०सी०ए०,
हरियाणा, पंचकूला।

विषय **Diversion of 0.4144 Ha of forest land for establishment of CNG Station of
LTY Farm Pvt. Ltd at village Mewla Maharajpur on Surajkund road,
Faridabad**

संदर्भ **उप वन महानिरीक्षक, केन्द्रीय का पत्र क्रमांक 9-एच०आर०बी०
162/ 2022- सी०एच०ए० दिनांक 8/2022**

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि उक्त केस से संबंधित सभी सूचना पहले ही इस कार्यालय द्वारा भेजी जा चुकी है। उक्त संदर्भांकित पत्र द्वारा उप वन महानिरीक्षक, केन्द्रीय द्वारा "Since the proposal is not linear and located in PLPA area, a clarification need to be submitted as to how this proposal has been sent for forest diversion in view of the provisions of PLPA in various orders from the CEC of Hon'ble Supreme Court" आपति लगाई गई है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि same matter से संबंधित अन्य कई केस इस कार्यालय में प्राप्त हुये है। इस बारे में आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि इस प्रकार के केसों में इस कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाही की जानी बनती है, इस बारे में जरूरी दिशानिर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि दिये गये दिशानिर्देश अनुसार इस प्रकार के सभी केसों में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर आपको अवगत करवाया जा सके। यह आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।


उप वन संरक्षक,
फरीदाबाद।